पटना विश्वविद्यालय, पटना

कार्यालय अधिसूचना

नवीन शिक्षण सत्र 2025–26 के प्रारंभ होते ही महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्नातकोत्तर विभागों में रैगिंग की घटना नहीं होने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में UGC के पत्रांक D.O.No. 1-74/2016 (ARC) dated 22nd July 2025 के आलोक में सभी विभागाध्यक्षों/संस्थानों के **निदेशक/प्राचार्यगण से निवेदन है कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए अपने संस्थान में एक एंटी रैगिंग कमिटी, एंटी रैगिंग स्क्वॉयड एवं एंटी रैगिंग सेल का गठन कर कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करने की कृपा करें।** एंटी रैगिंग सेल के सभी सदस्यों के नाम उनके मोबाईल नम्बर के साथ प्रमुख स्थानों एवं बेबसाइट पर प्रकाशित करें जिसमें 24x7 Toll Free No. 1800-180-5522 or e-mail helpline@ antiragging.in प्रमुखता से दर्शाया गया हो। एंटी रैगिंग सेल छात्रों से लगातार सम्पर्क बनाए रखे तथा उनको परामर्श देते रहें।

सभी नामांकित छात्रों एवं उनके अभिभावकों को www.antiragging.in & www.amanmovemnet.org पर ऑनलाइन शपथ–पत्र भरना अनिवार्य कर उसका डाउनलोडेड प्रति अपने कॉलेज में विषय के रजिस्ट्रेशन से पूर्व जमा कराये। एंटी रैगिंग पोस्टर को प्रमुख स्थानों जैसे प्रवेश द्वार के नजदीक, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लगायें ताकि परिसर को रैगिंग मुक्त बनाया ज सके। अपने अधीनस्थ छात्रावासों में भी अधीक्षकों को उपरोक्त सभी सूचनायें प्रगुखता से प्रमुख स्थानों पर होडिंग लगाकर प्रचारित करने को निदेशित करें। एंटी रैगिंग स्क्वॉयड/टीम को परिसर, कैटिन, कॉमन रूम, खेल के मैदान का औचक निरीक्षण के लिए भी प्रोत्साहित करें। एंटी रैगिंग की घटना उजागर होने पर तुरंत UGC के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसकी सूचना कुलानुशासक कार्यालय को भी दें ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके तथा सारी सूचनायें अपने कॉलेज के वेबसाइट पर दर्शायें।

अपने **महाविद्यालय/संस्थान में 12 अगस्त को एंटी रैगिंग दिवस एवं 12 अगस्त से 18 अगस्त तक ऐंटी रैगिंग सप्ताह मनाना सुनिश्चित करेंगे।** आयोजित कार्यक्रम को अपने महाविद्यालय/संस्थान के वेबसाईट पर तथा उसकी प्रति विश्वविद्यालय को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि पटना विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी उसको अपलोड किया जा सके।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझें।

कुलपति के आदेशानुसार,

संलग्नकः सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति।

28.07.2025
कुलानुशासक,
पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांकः कुला0/1144 पटना, दिनांकः 28.07.2025

प्रतिलिपिः 1.सभी संकायाध्यक्ष, (मानविकी, समाज विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा एवं लॉ) संकाय कार्यालय, प0वि0वि0 2.सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प0वि0वि0 3.सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, प0वि0वि0 4.सभी संस्थानों के निदेशक, प0वि0वि0 5.संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, प0वि0वि0 6.सभी छात्रावासों के वार्डेन एवं अधीक्षक/अधीक्षिका छात्रावास, प0वि0वि0 7.सभी पदाधिकारीगण, प0वि0वि0 8.प्रभारी पदाधिकारी, (आई0 टी0 सेल) पटना विश्वविद्यालय कम्प्यूटर सेंटर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) 9.कुलपति के सचिव, प0वि0वि0 10.प्रति कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.07.2025
कुलानुशासक,
पटना विश्वविद्यालय, पटना।

28/07/2025

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

DO No.1-74/2016 (ARC) | 31 आषाढ़ 1947 / 22nd July, 2025

आदरणीय महोदया/महोदय,

To prevent ragging, the UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions. These regulations are mandatory, and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto, including the monitoring mechanism as per provisions in the above regulations and ensure its strict compliance. The UGC has also taken several proactive steps, including the effective launch of media campaigns and awareness activities for preventing ragging. Videos on anti-ragging are also uploaded on UGC website for use by higher education institutions.

As a step further, UGC has decided in 2023 that Anti Ragging Day would be observed **on 12th August**, followed by Anti Ragging Week from **12th August to 18th August**. This initiative is one of the tools of the Commission to increase awareness against ragging. The Higher Educational Institutions are desired to adopt the following activities during the celebration of Anti-Ragging Day/Week:

i. Inaugural ceremonies to mark the launch of Anti-Ragging Day/Week.
ii. Competitions such as slogan writing, essay writing, poster making, logo designing, street play performances, photography, quiz competitions, debates, and more on Anti-Ragging themes. Distribute certificates and prizes to encourage the participants to actively promote Anti-Ragging measures.
iii. Social media campaigns, activity posts, and video messages by the head of the institutions to disseminate Anti-Ragging messages on the institution's website and social media platforms.
iv. Awareness activities like workshops, seminars, interactive sessions, and other creative avenues such as setting up selfie corners on campus to spread the key messages.
v. Encourage your students to participate in the National Contest 2025 on Digital Posters, Reels, and Short Videos. Detailed information regarding the National Contest, its categories, deadlines, eligibility, selection, and awards is available at [illegible].
vi. Anti-Ragging short films/ TVCs may be screened for students and faculty (available on UGC website [illegible]).
vii. Forward this advisory to all the colleges within your jurisdiction to celebrate Anti-Ragging Day/Week.

The Higher Educational Institutions are requested to kindly download the creatives related to Anti-Ragging Day/Week from the Anti-Ragging website. Institutions are also advised to share, inform, and engage students, faculty, and non-teaching staff for their active participation. Further, the Action Taken Report on the activities conducted and participation during the Anti-Ragging Day/Week may please be submitted on the Anti-Ragging website through the following link: [illegible]

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

सेवा में,

1 सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति / कुलसचिव
2 सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य / डीन
3 सभी परिषदें और नियामक निकाय
4 श्रीमति रीना सोनोवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।